2020/00110

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2020 (डूंगरपुर डिक्री)

1. देवा जी मीणा के बजाय :–

1/1. भगवतीलाल पुत्र स्व. देवाजी मीणा, जरिये वाद मित्र गंगाराम मीणा, निवासी डुंगलाई, हाल देवपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर

1/1. मुकेश पुत्र स्व. देवाजी मीणा, जरिये वाद मित्र गंगाराम मीणा, निवासी डुंगलाई, हाल देवपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर

1/3. सुश्री रामु पुत्री स्व. देवाजी मीणा, जरिये वाद मित्र गंगाराम मीणा, निवासी डुंगलाई, हाल देवपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर

1/4. नरेश पुत्र स्व. देवाजी मीणा, जरिये वाद मित्र गंगाराम मीणा, निवासी डुंगलाई, हाल देवपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर

2. श्रीमती भगली मीणा के बजाय :–

2/1. उंकारिया पुत्र रत्ना मीणा, निवासी देवपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (मृतक) नाम रेकार्ड से हटाया गया

2/2. गंगाराम पुत्र उंकारिया मीणा, निवासी देवपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/3. आलिया पुत्र उंकारिया मीणा, निवासी देवपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/4. रमेश पुत्र उंकारिया मीणा, निवासी देवपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. पेमा जी मीणा के बजाय :–

1/1. श्रीमती गांगली पत्नी स्व. पेमा जी मीणा, निवासी ऊंची मगरी, ग्राम पंचायत पाल निठाउवा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2. रामा पिता स्व. पेमा जी मीणा, निवासी ऊंची मगरी, ग्राम पंचायत पाल निठाउवा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/3. दिनेश पिता स्व. पेमा जी मीणा, निवासी ऊंची मगरी, ग्राम पंचायत पाल निठाउवा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/4. नारायण पिता स्व. पेमा जी मीणा, निवासी ऊंची मगरी, ग्राम पंचायत पाल निठाउवा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

2. कोदरिया पिता नाया जी मीणा, निवासी ऊंची मगरी, ग्राम पंचायत पाल निठाउवा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested

3. आलिया पिता नाया जी मीणा, निवासी ऊंची मगरी, ग्राम पंचायत पाल निठाउवा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. देलिया पिता नाया जी मीणा, निवासी ऊंची मगरी, ग्राम पंचायत पाल निठाउवा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती धुलकी पुत्री नाथू जी मीणा पत्नी नाथिया मीणा, निवासी डुंगलाई, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. श्रीमती मगधु पुत्री नाथू जी मीणा पत्नी भेरिया मीणा, निवासी डुंगलाई, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. श्रीमती केशु पुत्री नाथू जी मीणा पत्नी कमला मीणा, निवासी डुंगलाई, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्रीमती गंगा मीणा के बजाय :–

8/1. भगला पिता पासिया जी मीणा, निवासी सारंगी, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

8/2. जितु पिता भगला जी मीणा, निवासी सारंगी, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

8/3. रमेश पिता भगला जी मीणा जरिये संरक्षक भगला पिता पासिया जी मीणा, निवासी सारंगी, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

9. पटवारी हल्का, पटवार मण्डल सोलज, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर
10. भूमिधारी तहसीलदार, साबला, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आसपुर
दिनांक 15.07.2015 प्र.सं. 14/2012

---/---

उपस्थित(वक्त बहस) 1– श्री सुखलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री निर्मल कुमार जैन अभिभाषक रे.सं. 1/1 से 4
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 व 10

---::---

निर्णय दिनांक 09–04–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा देवपुरा वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested

के खातेदारी की आराजी नंबर 362, 371, 390, 394, 395 कुल किता 5 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। वादीगण के पिता नाया के फोत होने पर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु पटवारी हल्का ने वादीगण का नाम दर्ज करने के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का नाम दर्ज कर दिया, जिसकी आड़ में प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजीयात खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादिया के नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 15–07–2015 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14–08–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 4 की ओर से वकील श्री निर्मल कुमार जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9, 10 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24–07–2020 को हुई, जब उकारिया मीणा ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील करीब 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा इसके लिए कोई पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 15–07–2015 की अपील दिनांक 14–08–2020 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की समयावधि दिनांक 14–09–2015 थी। इस प्रकार अपील करीब 4 वर्ष 11 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जानकारी का कारण दिनांक 24–07–2020 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर होना बताया, जो करीब 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील के लिए न तो कोई उचित कारण प्रतीत होता है, न ही इतने वर्ष के विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु कोई पर्याप्त कारण है। जबकि देरी से प्रस्तुत अपील के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 15–07–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 09–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

देवा के बजाय भगवतीलाल पुत्र स्व. देवा मीणा जरिये वाद मित्र गंगाराम मीणा, निवासी देवपुरा, तह. साबला, जि. डूंगरपुर व अन्य	बनाम	पेमा बजाय श्रीमती गांगली पत्नी स्व. पेमा मीणा, नि0 ऊंची मगरी ग्राम पंचायत पाल निठाउवा, तह. साबला, जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं............09/2020.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी........
.....आसपुर .... मुकाम................मुवर्खे.............15..............माह.............07............2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........09....माह........04.......सन् 2024 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी......श्री सुखलाल मेघवाल....मिनजानिब अपीलान्ट व.........श्री निर्मल कुमार जैन

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2015 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........09.....माह.......04...........2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested